लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

नागरिक अधिकार पत्र

(Citizen's Charter)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

आमुख

राज्य सरकार प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता लाने व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। इसी उद्धेश्य को ध्यान में रखकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने पहल करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित नागरिक अधिकार पत्र 12 अगस्त, 1998 को जारी किया था, पुनः मई, 2002 में संशोधित स्वरूप में जारी किया गया।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवर्तित स्वरूप व भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के क्रम में इसकी अद्यतन समीक्षा कर नये स्वरूप में जारी किया जा रहा है। राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है, जिसमें उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें खाद्यान्नों के मासिक मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है।

राज्य सरकार पूर्ण पारदर्शिता तथा इसे क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारियों की जवाबदेही के साथ लाभार्थियों के सर्वोत्तम लाभ के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

नये स्वरूप में नागरिक अधिकार पत्र आपके हाथो में है, आशा है, समस्त उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे।

प्रमुख शासन सचिव
खाद्य नागरिक आपूर्ति और
उपभोक्ता मामले विभाग,
राजस्थान

हमारा उद्देश्य

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समय पर उचित दर से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण एवं समाज के निर्धन वर्ग को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है। उचित मूल्य की दुकानों से वर्तमान में गेहूँ, चावल, चीनी, दाल केरोसीन एवं गेंहूँ के आटे का वितरण किया जा रहा है। वितरण की जाने वाली वस्तुओं की सूची में समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन भी किया जाता है।

हमारी वचनबद्धता

पारदर्शिता

विभाग की कार्य प्रणाली में सरलता, नियमों में स्पष्टता, उचित मूल्य की दुकान के आवंटन की प्रकिया में खुलापन तथा वांछित जानकारी सहज रूप से उपलब्ध कराना है।

जवाबदेही

राशन कार्ड से संबंधित सभी कार्यो के लिये समय सीमा तथा प्रभारी अधिकारियों के कार्यदायित्व निश्चित किये गये। सतर्कता समितियों के कार्यो का स्पष्ट उल्लेख ।

गुणवत्ता

वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की खाद्य निगम के गोदाम स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रबन्ध एवं उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर खाद्यान्न के नमूनों का प्रदर्शन।

कार्य प्रणाली में परिवर्तन

कार्य के मानदण्ड

प्रवर्तन स्टाफ के कार्य मानदण्डों का स्पष्ट निर्धारण एवं दायित्व वहन के लिये उनकी प्रतिबद्धता निश्चित की गई।

निगरानी में जन–भागीदारी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए गठित सतर्कता समितियों में सरकारी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों के व्यक्ति, निर्वाचित जन प्रतिनिधि तथा महिलाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोनयन का प्रावधान किया गया है।

सूचना का अधिकार

उचित मूल्य की दुकान पर सभी आवश्यक जानकारियों का सार्वजनिक प्रदर्शन एवं तीन माह तक की अवधि के वितरण रजिस्टर की जानकारी देय शुल्क पर उपलब्ध।

राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारियां

1	पात्रता	क्षेत्र का प्रत्येक निवासी
2	आवेदन पत्र कहां उपलब्ध होंगे ?	प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में (कार्यालय कार्य समय पर)

प्राधिकृत अधिकारी कौन है ?

1	जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/क्षेत्रीय रसद अधिकारी
2	शेष नगर पालिका क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त
3	ग्रामीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी संबंधित पंचायत समिति
4	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी	
5	गरीबी रेखा से नीचे एवं अन्त्योदय परिवारों का अन्तिम रूप से चयन	ग्राम सभा द्वारा

श्रेणीवार राशन कार्ड

क सं	योजना का नाम	रंग/प्रारूप का विवरण
1	**ए.पी.एल योजना**	कवर पृष्ठ का–आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) पीकोक ब्लू रंग (तकनीकी नाम ''शान'') तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।
2	**बी.पी.एल योजना**	कवर पृष्ठ का आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) गुलाबी रंग (तकनीकी नाम 'मेजेन्टा') का तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।
3	**अन्त्योदय अन्न योजना**	कवर पृष्ठ का आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) पीले रंग (तकनीकी नाम ''नीम्बू पीला'') का तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।
4	**स्टेट बीपीएल**	कवर पृष्ठ का आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) गहरा हरा रंग (तकनीकी नाम ''मूगियां हरा'') का तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।
5	**अन्नपूर्णा योजना अधिकारिता कार्ड**	(पूर्वानुसार) गुलाबी

1	आवेदन हेतु शुल्क	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
2	आवेदन पत्र के साथ क्या सूचनायें चाहिये ?	1. नवीन राशनकार्ड हेतु पूर्व के राशनकार्ड के निस्तीकरण बाबत जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारी तथा ग्राम पंचायत हेतु विकास अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र 2. नवीन राशन कार्ड हेतु निवास बाबत प्रमाण पत्र यथा बिजली/पानी बिल/ नवीनतम टेलीफोन बिल/ वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस एवं विवाह पंजीकरण की प्रमाणित फोटो प्रति। किरायेदार की स्थिति में किरायेनामा की प्रति 3. पत्नी का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने, का प्रमाण मय विवाह पंजीकरण की प्रमाणित फोटो। 4. बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम /नगरपालिका/ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति। 5. मुखिया के दो पासपोर्ट साईज फोटो, एक फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकावें, सत्यापित करावें तथा दूसरा संलग्न करें। 6. स्थानीय संरपच अथवा पटवारी व स्थानीय पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।
3	कार्ड की अवधि	पांच वर्ष

योजनावार राशन कार्डो की उपभोक्ता से वसूल की जाने वाली राशि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम	निर्धारित कीमत मय आवेदन पत्र
1	ए.पी.एल योजना	5/– रू प्रति कार्ड
2	बी.पी.एल योजना	5/– रू प्रति कार्ड
3	अन्त्योदय अन्न योजना	3/– रू प्रति कार्ड
4	आवेदन फार्म–प्रपत्र 'अ'	1/–रू प्रति फार्म
5	डुप्लीकेट	10/–रूप प्रति कार्ड

महत्वपूर्ण सूचना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खण्ड 4 तथा अनुलग्नक के पैरा 2 के बिन्दु 9 के अनुसार ''राशनकार्ड पहचान के दस्तावेज'' हेतु प्रयोग नही किया जा सकता है।

अस्थाई राशन कार्ड

राज्य के बाहर से आकर निवास करने वाले व्यक्तियों को उनके स्थानान्तरण आदेश या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पर 24 घन्टे में तीन माह की अवधि के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

निवास बदलने पर क्या करें ?

राशन कार्डधारी निवास स्थान छोडने पर दो माह की अवधि में कार्ड जमा कराकर नये स्थान के लिए समर्पण प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।

राशन कार्ड में परिवर्तन की प्रकिया

वितरण		किसे आवेदन करें	क्या प्रकिया होगी (वांछित प्रमाण क्या चाहिएं ?)
1	दुकान/पते में परिवर्तन	प्राधिकृत अधिकारी	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन (निवास का प्रमाण)
2	राशन कार्ड का समर्पण	प्राधिकृत अधिकारी	साधारण प्रार्थना पत्र
3	यूनिट –संख्या में बदलाव	प्राधिकृत अधिकारी	आवेदन (परिवर्तन का कारण कोई प्रमाण जैसे शादी कार्ड/निमंत्रण पत्र/ नियुक्ति पत्र/ स्थानान्तरण पत्र / जन्म / मृत्यु/विवाह पंजीकरण

राशन कार्ड किस कार्य में कितना समय ?

क सं	कार्य विवरण	समय सीमा
1	नया राशनकार्ड बनाना	सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्ति के 7 कार्य दिवस में।
2	राशन कार्ड में यूनिट बढाना या कम कराना	सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्ति के दिन ही बढाया/घटाया जायेगा। भौतिक सत्यापन यदि आवश्यक होतो 7कार्य दिवस में
3	राशनकार्ड धारक के पते में परिवर्तन यदि उसी क्षेत्र में हो	आवेदन प्राप्ति के दिन ही परिवर्तन किया जायेगा। नवीन आवास के प्रमाण प्रस्तुत करें।
4	राशनकार्ड धारक के पते में परिवर्तन यदि उ.मू.दुकान का क्षेत्र बदल रहा है।	आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में पूर्व उचित मूल्य दुकानदार अपने यूनिट रजिस्टर से ऐसे राशन कार्ड धारक का पंजीयन रद्द कर रिपोर्ट करेगा। उचित मूल्य दुकान परिवर्तन की स्थिति में नवीन कार्ड (पूर्व कार्ड को निरस्त) जारी किया जाएगा।
5	राशनकार्ड का समर्पण प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तिथि को ही जारी किया जायेगा।
6	डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाना	सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजो सहित आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में।
7	शिकायत	संबंधित जिला कलक्टर को जिनका दूरभाष सं. जिला रसद अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शित होगा।

उचित मूल्य की दुकान आवंटनः किसकों और कैसे ?

1	**पात्रता**	1. शहरी क्षेत्र के लिये आवेदक संबंधित वार्ड का निवासी होना चाहियें। 2. ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना चाहिए जिले में कार्यरत सहकारी संस्थाएँ, महिला स्वयं सहायता समूह एवं कॉलम 2 में अंकित संस्था व व्यक्ति।
2	**प्राथमिकताएं**	1. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो। 2. सहकारी समितियाँ (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं) 3. शिक्षित बेरोजगार। 4. अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्ति 5. महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। 6. भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा। 7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्रमशः 16, 12 एवं 21 प्रतिशत आरक्षण होगा। 8. आरक्षण व्यवस्था वर्तमान तथा भविष्य में जारी होने वाली विज्ञप्ति / रिक्तियों पर लागू होगा। उक्त वर्णित प्रतिशत के अनुसार रिक्तियों हेतु 100 बिन्दु रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जावेगा। 9. उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर व्यवस्था प्रत्येक तहसील स्तर पर की जायेगी। रिक्तियों के रोस्टर प्रणाली का निर्धारण जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। 10. उचित मूल्य दुकानों के लिए निर्धारित 16, 12, 21 एवं 1 प्रतिशत आरक्षण क्रमशः S.C, S.T, O.B.C एवं विशेष ओबीसी को दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। आरक्षण का क्रम इस प्रकार होगा कि यदि किसी वर्ग के आरक्षण के पद का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो द्वितीय विज्ञप्ति जारी कर उससे आगे वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार से भर दिया जावें, यदि दोनों वर्गों में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो तृतीय विज्ञप्ति जारी कर आगे आने वाले तीसरे वर्ग के उम्मीदवार से उस पद को भर दिया जावें, परन्तु जिस वर्ग के पद को भरा गया है, उस वर्ग का बैक लॉग चलता रहेगा तथा आगे जिस वर्ग को पूर्व में उस वर्ग का पद दे दिया है उस वर्ग की कटौती आगे की जाकर उसके बैक लॉग की पूर्ति कर ली जायेगी। उदाहरण के लिए :– SC का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो आगे आने वाले वर्ग ST के उम्मीदवार से वह पद भर लिया जावेगा, यदि दोनों वर्गों में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उसे तीसरे वर्ग OBC के उम्मीदवार से भर लिया जावेगा, परन्तु जैसे SC के पद को

		OBC से भरा गया है, तो भविष्य में SC के बैक लॉग की पूर्ति OBC के आरक्षित पद से ही की जावेगी, यह सतत् प्रक्रिया चलती रहेगी। यह ध्यान रहे कि किसी भी वर्ग को निर्धारित आरक्षण से अधिक नहीं दिया जावें। 11. शेष 50 प्रतिशत दुकानों के आवंटन में आरक्षित वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समान अवसर दिया जावेगा। 12. दिनांक 27.02.09 को जारी दिशानिर्देशों में अंकित प्राथमिकता क्रम 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग एवं शेष 50 प्रतिशत आरक्षित कोटा यथावत् लागू रहेगा। 13. आरक्षण व्यवस्था से पात्रता की पूर्व में विहित अन्य किसी शर्त में कोई छूट देय नहीं होगी। 14. आरक्षण व्यवस्था के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को आधार माना जावेगा। 15. इस व्यवस्था के अन्तर्गत चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवी कक्षा पास एवं जन जाति उप योजना क्षेत्र व बांरा के शाहबाद एवं किशनगंज के तहसीलों के लिये अनुसूचित जनजाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वीं पास रहेगी। 16. जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 40 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों को और 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को आवंटित की जावेगी। 17. बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 40 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदको को और 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछडा वर्ग के आवेदको को आवंटित की जावेगी। 18. निःशक्त जनों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक वर्ग के निर्धारित आरक्षण में से ही दिया जायेगा। 19. सामान्य प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकान आवंटित की जावेगी। 20. आरक्षण हेतु प्रतिशत की गणना करने पर यदि संख्या दशमलव में आती है तो 0.5 से कम आने पर नीचे वाली संख्या 0.5 या इससे ऊपर संख्या आने पर आगे वाली संख्या को श्रेणीवार आरक्षित दुकानें मानी जावेगी। 21. मृतक उचित मूल्य दुकानदार के स्थान पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति पर आरक्षण व्यवस्था लागू नही होगी। उक्तानुसार आरक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त प्राथमिकता क्रम की शेष व्यवस्थाऐं पूर्ववत रहेगी।
3	**कब आवेदन करें**	दुकान रिक्त होने की सूचना अखबार मे विज्ञप्ति अथवा स्थानीय स्तर पर कार्यालय में नोटिस प्रकाशित/जारी होने पर
4	**रिक्ति की सूचना कहां मिलेगी**	संबंधित पंचायत भवन/नगरपालिका/क्षेत्रीय रसद अधिकारी कार्यालय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।
5	**आवेदन कहां करें?**	जिला रसद अधिकारी कार्यालय में

6	**चयन प्रकिया**	नगरीय/ग्रमीण क्षेत्रों हेतु आवंटन सलाहकार समिति आवेदन पर विचार कर निर्णय लेगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरूप निर्धारित प्राथमिकता अनुसार चयन किया जावेगा। प्राथमिकता प्राप्त व्यक्ति को दुकान आवंटन किये जाने का विवरण रखा जायेगा। दुकान आवंटन के संबंध में अन्तिम निर्णय का अधिकार जिला कलक्टर को हैं।
7	**किन स्थितियों में आवंटन रद्द किया जा सकता है।**	दी गई सूचनाएं असत्य पायी जाने पर/नियम विरूद्ध आवंटन पर/राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के आदेश में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना पर।
8	**गलत आवंटन पर कहां शिकायत करें ?**	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)/ अति.खाद्य आयुक्त/खाद्य मंत्री को।
9	**दुकान आवंटन प्रकिया में समय सीमा**	(आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात शीघ्रतिशीघ्र) यथा संभव दुकान आवंटन की समस्त प्रक्रिया एक माह में पूर्ण कर ली जावेगी।
10	**किन्हें आवंटन नही किया जा सकता**	1. जो संबंधित वार्ड/ग्रम पंचायत क्षेत्र का निवासी नही हों। 2. परिवार के किसी सदस्य यथा माता पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता पिता पर आश्रित बालिक पुत्र के नाम पूर्व से ही दुकान होने के स्थिति में 3. 25,000/— से कम हैसियत की स्थिति में 4. आवेदक के पूर्व के 10 वर्षो के अवधि में आवश्यक वस्तु अधिनियम में दण्डित होने की स्थिति में 5. ऐसे प्राधिकार पत्र धारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर गत 10 वर्षो में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो। 6. जिला रसद विभाग में कार्यरत अधिकरियों/कर्मचारियों के निकट संबंधी 7. लोक सेवक 8. सरपंच, पंच पार्षद, पंचायत समिति के सदस्य आदि लोक सेवक। 9. न्यूनतम 8 वी पास लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बांरा के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के लिए अनु. जन जाति/ सहरिया व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वीं कक्षा उत्तीण नहीं होने पर। आवेदक के नाबागिक, विक्षिप्त, चाल चलन सही नही हो, दिवालिया घोषित होने पर।
11	**मृत डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आवंटन**	उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न सदस्यों में से एक को निम्न वरीयता कम से दुकान आवंटित कर प्राधिकार पत्र को संशोधत किया जावेगा। (1) मृतक की विधवा (2) बालिग पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो (3) बालिग अविवाहित पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो (4) विधवा पुत्री उक्तानुसार आवंटन करते समय बिन्दु संख्या2 से 4 आवेदकों के परिवार के अन्य सदस्यों यथा माता, बालिग भाई व अविवाहित बालिग बहिनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तु करना होगा। इस प्रयोजनार्थ परिवार में एक ही साथ रहने वाले एवं मृतक डीलर पर आश्रित उपरोक्त श्रेणी के परिजनों को ही सम्मिलित किया जावे।

लक्षित सार्वजनिक विरण प्रणालीः निगरानी कौन करेंगें ? स्वयं उपभोक्ता या उनके प्रतिनिधि

किसी भी इच्छुक उपभोक्ता/पंजीकृत उपभोक्ता संगठन द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित दर पर दुकान द्वारा जारी की गई मात्रा/राशन कार्ड का रजिस्टर / वस्तुओं के आवंटन की प्रति तहसील स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। राज्य सरकार के सूचना के अधिकार संबंधित जारी निर्देशों के अनुसार।

खाद्य विभाग

स्टॉक रजिस्टर/ वितरण रजिस्टर/गुणवत्ता और माप तौल पर प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी/सहायक जिला रसद अधिकारी/ जिला रसद अधिकारी द्वारा निगरानी एवं नियंत्रण का प्रावधान।

सतर्कता समितियाँ

समिति का स्तर एवं कार्य		कौन सदस्य होंगे ? (गैर सरकारी सदस्य मनोनयन द्वारा)
1	**दुकान स्तर पर** **(i) शहरी क्षेत्र के लिए** (**मुख्यकार्यः**— वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन पर नजर एवं वितरण के पश्चात प्रमाणीकरण)	1. वार्ड पार्षद— अध्यक्ष 2. सामाजिक कार्यकर्त्ता (दो) सदस्य 3. उपभोक्ता —(एक) सदस्य 4. स्थानीय सेवा निवृत अधिकारी/ कर्मचारी —सदस्य 2, 3, व 4 का मनोनयन जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
	(ii)गग्रमीण क्षेत्र के लिए (**मुख्यकार्यः**— वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन पर नजर एवं वितरण के पश्चात प्रमाणीकरण)	1. सरपंच —अध्यक्ष 2. उपभोक्ता— (एक) सदस्य 3. संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/ अध्यापक—सदस्य 4. स्थानीय सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी —सदस्य 5. उपभोक्ता/कार्यकर्त्ता सामाजिक संगठन — सदस्य 6. पंच—सदस्य 2, 4 ,5 ,व 6, का मनोनयन संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
3	**तहसील स्तर पर** (**मुख्यकार्यः**— तहसील स्तर पर वितरण व्यवस्था, आवंटन पर नजर एवं दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के कार्यो की समीक्षा)	1. प्रधान पंचायत समिति— अध्यक्ष 2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार— उपाध्यक्ष (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में उपाध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे एवं तहसीलदार सदस्य होंगे)

		3. स्थानीय निकाय (नगरपालिका सदस्य) (दो)–सदस्य(अध्यक्ष स्थानीय निकाय द्वारा मनोनीत) 4. पंचायत समिति सदस्य (दो)–सदस्य (प्रधान द्वारा मनोनीत) 5. स्थानीय विधायक– सदस्य 6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–सदस्य 7. उपभोक्ता (दो)–सदस्य (मनोनयन द्वारा) 8. सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के सदस्य (दो) (मनोनयन द्वारा)– सदस्य 9. संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक –सदस्य सचिव
3	**जिला स्तर पर** (मुख्य कार्य–जिला स्तर पर सम्पूर्ण कार्य प्रणाली की प्रभावी क्रियान्विति)	1. जिला कलक्टर –अध्यक्ष 2. जिले के समस्त सांसद– सदस्य 3. जिले के समस्त विधायक –सदस्य 4. जिला प्रमुख – सदस्य 5. जिले के समस्त प्रधान (पंचायत समिति) –सदस्य 6. जिले की समस्त नगरपालिकाओं/ परिषदों /निगमों के अध्यक्ष / प्रशासक - सदस्य 7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार- सदस्य 8. उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि (दो) –सदस्य (कलक्टर द्वारा मनोनीत 9. जिला रसद अधिकारी–सदस्य सचिव
4	**राज्य स्तर पर** (**मुख्यकार्यः**–सम्पूर्ण व्यवस्था व कार्य प्रणाली की अवधि समीक्षा, प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था एवं क्रियाकलाप।	1. खाद्य मंत्री –अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव – सदस्य 3. खाद्य सचिव – सदस्य 4. संसद सदस्य/विधायक (पांच) सदस्य 5. उपभोक्ता संगठन (तीन)– सदस्य 6. युवा/महिला/संगठन (दो)– सदस्य 7. अन्य संबद्ध अधिकारी– (क) खाद्य निगम प्रबंधक (ख) तेल कंपनियों का प्रतिनिधि (ग) कॉनफेड/ राजफेड प्रशासन–सदस्य 8. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त– सदस्य सचिव

उचित मूल्य की दुकानों के लिए नागरिक अधिकार पत्र

1. इस दुकान से संबद्ध राशन कार्ड धारको को उचित मूल्य की दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं अर्थात चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल एवं मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। दुकान का कार्य–समय, देय सामग्री की मात्रा, सामग्री योजनावार बी.पी.एल, ए.पी.एल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा का मूल्य स्टॉक की स्थिति तथा प्राधिकार पत्र संख्या एवं धारक का नाम बोर्ड पर अलग से दर्शाया गया है।

2. बी.पी.एल एवं अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न (चावल, गेहूं अथवा दोनो) निम्नलिखित दर पर प्रतिमाह दिया जायेगा।

   चावल................................ रू0 प्रति किलोग्राम कुल देय मात्रा......................

   गेहूॅं. ....रू0 प्रति किलोग्राम कुल देय मात्रा......................

   केरोसीन...रू0 प्रति लीटर कुल देय मात्रा......................

3. इस उचित मूल्य की दुकान की कार्यप्रणाली की निगरानी एक सतर्कता समिति द्वारा की जाती है। इस सतर्कता समिति में निम्न सदस्य मनोनीत है। कोई भी शिकायत इनको भेजी जा सकती है।

नाम	पद	पता	दूरभाष / मोबाईल
	अध्यक्ष		
	सदस्य		
	सदस्य		
	सदस्य		
	सदस्य		

4. शिकायत निम्नलिखित सरकारी अधिकरियों को भेजी जा सकती है।

नाम	पद	पता	दूरभाष / मोबाईल
	प्रवर्तन निरीक्षक / अधिकारी		
	उपखण्ड अधिकारी		
	जिला रसद अधिकारी		
	जिला कलक्टर रसद		

5. सभी उचित मूल्य की दुकानों के डीलर्स द्वारा आवंटित खाद्य वस्तएं एवं केरोसीन का शत–प्रतिशत उठाव प्रत्येक माह की 15 तारीख से पूर्व आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। राशन सामग्री का विवरण प्रत्येक माह की 15 से 21 तक की अवधि के

मध्य किया जावेगा। खाद्य वस्तुएं एवं केरोसीन के शत–प्रतिशत उठाव की सूचना संबंधित सतर्कता समिति एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम के तीन सरकारी कार्मिक पटवारी, ग्रामसेवक एवं निकटवर्ती सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा ग्राम पंचायत के सरपंच को दी जावेगी। तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद, वार्डन सिविल डिफेंस, सेनेट्री इन्सपेक्टर एवं निकटवर्ती सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक/अध्यापिका को दी जावेगी। जिसमें से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध सामग्री का तत्काल भौतिक सत्यापन किया जावेगा और संबंधित डीलर द्वारा उक्त संबंध में रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड/जिला मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।

6. राशन डीलर द्वारा माह के दौरान वितरित की गयी खाद्य सामग्री एवं केरोसीन की सूचना जिला मुख्यालय/उपखण्ड मुख्यालय को माह समाप्ति के अंतिम दिनांक 30 तारीख के पश्चात अगले माह की दो तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावेगी।

7. उपभोक्ता दिवसों के दौरान किन्हीं परिस्थितियो में सामग्री नही लेने आने वाले उपभोक्ताओं को अन्य दिवस में भी खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जावेगी तथा यदि उपभोक्ता दिवस अवधि के अलावा डीलर के पास केरोसीन आदि सामग्री उपलब्ध रहती है।

उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शन के लिए सूचना

प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख तक उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जावेगा। जिसमें प्रातः 9.00 बजे से लेकर रात्रि 6.00 बजे तक दुकान आवश्यक रूप से खुलेंगी इसमें 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का भोजन अवकाश रहेगा व इस अवधि में साप्ताहिक अवकाश नही रहेगा।

1. अन्य ब्योरे के साथ उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र सं–
2. उचित मूल्य की दुकान के मालिक का नाम
3. उचित मूल्य की दुकान के साथ संबद्ध विशेष राशन कार्डो की (कुल संख्या) बी. पी.एल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं ए.पी.एल संख्या का प्रदर्शन नाम, चयनित क्रमांक सहित सूचियां।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिन्सों के ब्योरें

दिनांक ....

क्र स	जिन्स का नाम	अवशेष स्टॉक	दर प्रति किलोग्राम	कार्ड / यूनिट पात्रता	इतिशेष स्टॉक (उचित मूल्य की दुकान बंद होने के समय)	मासिक आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	चावल					
2	गेहूँ					
3	चीनी					
4	केरोसीन					
5	गेंहूँ, आटा					
6	दाल					
7	खाद्य तेल					

(1) स्थानीय एजेंसी का नाम...

पता और टेलीफोन नम्बर...(यदि कोई हो)

जिसे शिकायत की जा सकती है..

(अर्थात सतर्कता समिति, ...

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन ....

स्थानीय निकाय / पंचायत के ....

सदस्यों के)..

(2) राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी का)...

नाम पता और टेलीफोन नं0..

''मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना''

बी.पी.एल व राज्य बी.पी.एल. परिवारों के लिए 2/— रू. किलो गेहूँ योजना

राज्य सरकार ने गरीबों, अजा.अजजा व पिछड़ें वर्ग को राहत देने वाली योजनाएँ प्रारम्भ की है। जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम सस्ता आटा व सस्ती दाल उपलब्ध करवायी गयी, जिससे की गरीबों की आर्थिक स्थिति उनके सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ाने में बाधक ने हो एवं सभी को खाद्यान्न सरलता से सस्ता उपलब्ध हो सके।

राज्य सरकार ने बी.पी.एल. एवं राज्य बी.पी.एल. परिवारों की आर्थिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुये 25 किलो गेहूँ 2/— रूपयें किलो की दर से प्रति परिवार प्रति माह देने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुये बी.पी.एल. व राज्य बी.पी.एल परिवारों को राहत देने वाली योजना शुरू की है । जिसमें 36 लाख 57 हजार परिवार लाभान्वित होगें।

1 10 मई 2010 से पूरे राज्य के सभी जिलों में **बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल. परिवारों को 2/— रू. प्रतिकिलों की दर** पर गेंहूँ वितरण योजना का शुभारम्भ।

2 बी.पी.एल एवं राज्य बी.पी.एल. श्रेणी के **प्रति परिवार को 25 किलोग्राम प्रतिमाह** गेंहूँ का आवंटन।

3 गेंहूँ का वितरण प्रत्येक माह की निर्धारित **15 से 21 तारीख के बीच किया जाना** डीलर के लिए आवश्यक।

4 राज्य भर में खाद्य सामग्री वितरण हेतु प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख की अवधि को **''उपभोक्ता दिवस''** के रूप में मनाया जायेगा।

5 गेंहूँ एवं अन्य सामग्री का वितरण **सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति** में ही होगा।

6 राज्य के लगभग 25 लाख 95 हजार बी.पी.एल. परिवार इस योजना से लाभान्वित।

7 राज्य के लगभग 10 लाख 62 हजार राज्य बी.पी.एल परिवार भी इस योजना में लाभान्वित। इस प्रकार **कुल 36 लाख 57 हजार परिवार योजना से लाभान्वित** होगें।

8 बी.पी.एल. एवं राज्य बी.पी.एल. परिवारों को नये राशन कार्ड एवं राशन **टिकट उपलब्ध** करवाने की प्रक्रिया शुरू।

9 आवंटित खाद्यान्नों का **उठाव प्रत्येक माह की 13 तारीख तक थोक विक्रेता** के द्वारा किया जाना आवश्यक है।

10 अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) योजना में चयनित लाभार्थियों को **2/— रू. प्रतिकिलों की दर पर 35 किलोग्रम गेहूँ प्रति माह** आवंटित।

11 अन्नपूर्णा योजना में **प्रतिमाह 10 किलोग्राम गेहूँ निःशुल्क** आवंटित।

योजना की क्रियान्विति

1 प्रत्येक जिले के थोक विक्रेता द्वारा माह की 13 तारीख तक भारतीय खाद्य निगम से गेंहूँ पूरी मात्रा में उठाकर उचित मूल्य की दुकान तक पहुचाना आवश्यक होगा।

2 संबंधित डीलरों को उचित मूल्य दुकान की सतर्कता समिति एवं सबंधित सरकारी कर्मचारी से प्राप्त खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं का सत्यापन कराना जरूरी होगा। इस हेतु रजिस्टर में आवश्यक इन्द्राज कराया जावेगा।

3 प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख के बीच की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् प्राप्त सामग्री यथा गेंहूँ/चावल/चीनी/दाल/खाद्यान्न तेल/केरोसीन आदि का वितरण सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

4 सरकारी कर्मचारी के किन्ही कारण से अवकाश पर होने पर जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी द्वारा नियुक्त अन्य वैकल्पिक कर्मचारी को वितरण व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जायेगा।

5 यह अवधि ''**उपभोक्ता दिवस**'' के रूप में मनाई जायेगी।

6 थोक विक्रेता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से गत माह की 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक राशि जमा रानी होगी एवं माह की 1 तारीख से 13 तारीख तक सामग्री का उठाव करना आवश्यक होगा।

7 जिले का जिला रसद अधिकारी प्रत्येक माह की 13 तारीख तक थोक विक्रेता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से गेंहूँ का उठाव सुनिश्चित करायेंगे एवं अपने कार्यालय के रजिस्टर में उठाव संबंधित सूचना का आवश्यक इन्द्राज करेगें। इस हेतु भारतीय खाद्य निगम से मासिक सूचना मंगवायेगें।

8 किन्हीं विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई उपभोक्ता सामग्री का उठाव नहीं कर पाता है तो इस हेतु संबंधित डीलर दुकान के लिए अधिकृत कर्मचारी एवं क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक को सूचित कर वितरण करेगा तथा इसका विशेष इन्द्राज एवं नोट वितरण रजिस्टर में लगाया जायेगा। जिसका अगले माह वितरण के समय संबंधित कर्मचारी द्वारा उस उपभोक्ता से सत्यापन किया जायेगा।

9 इस उपभोक्ता दिवस की अवधि के दौरान जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा विशेष निरीक्षण किये जायेगें एवं वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की

जायेगी। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10 यदि किसी डीलर का लाईसेंस निलम्बित/निरस्त किया जाता है तो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी परन्तु 3 माह में नये डीलर की नियुक्ति करना आवश्यक होगा।

11 जिला कलक्टर द्वारा जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टाफ की मासिक बैठक में योजना की समीक्षा की जावेगी एवं जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वार किये गये निरीक्षणों का परीक्षण भी किया जायेगा।

12 जिले में आवंटित खाद्य सामग्री का शत–प्रतिशत उठाव सुनिश्चित किया जायेगा। 25 किलो प्रतिमाह प्रति बी.पी.एल/राज्य बी.पी.एल. परिवारों को आवंटित मात्रा से कम मात्रा में वितरण राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन होगा एवं संबंधित जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी।

13 खुदरा एवं थोक विक्रेता का कमीशन बढ़ाकर क्रमशः 8 /– रूपये से 20/– रूपये व 5/–रूपये से 10/– रूपये प्रति क्विंटल किया गया है जिससे की दोनों को समुचित कार्य से लाभ प्राप्त हो सके।

14 उपभोक्ता की सुविधा के लिए एवं किसी भी तरह की योजना के संबंध में शिकायत सुझाव हेतु सभी डीलरों की उचित मूल्य की दुकानों पर जिला रसद अधिकारी/जिला कलक्टर एवं स्टेट कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर लिखे जायेगें।

15 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने वाले खुदरा विक्रेता उपभोक्ता दिवसों के दौरान राशन की दुकानों को निर्धारित समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुला रखकर आम उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध करायेगा। इसमें 1 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे दोपहर तक भोजन अवकाश रहेगा।

नागरिकों की जिम्मेदारी

राज्य सरकार नागरिको से यह आशा करती है कि :—

✶ सुविधाओं का दुरूपयोग न करें और किसी भी कदाचार में लिप्त न हो अथवा उसे प्रोत्साहित ना करें।

✶ अनियमितता अथवा अन्य कदाचारों के किसी मामले के ध्यान में आने पर संबंधित प्राधिकारियों के तुरंत ध्यान में लायें।

✶ इस चार्टर में सुधार करने के लिए सुझाव, यदि कोई हो, तो वह निम्न लिखित पर भेंजेः—

✶ खाद्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
303, मंत्रालय भवन, तृतीय मंजिल,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।